भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2482

(दिनांक 10.08.2023 को उत्तर देने के लिए)

झूठी खबरों का प्रसारण

2482. श्री नीरज डांगी:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान अन्य देशों द्वारा भारत के विरुद्ध झूठी खबर फैलाने के कितने मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे टीवी चैनलों पर भारत द्वारा की गई कार्रवाई का देश-वार और चैनल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में झूठी खबर के विरुद्ध कोई कानून है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार देश में झूठी खबरों को रोकने के लिए कोई कानून लाने पर विचार कर रही है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार मौजूदा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार फर्जी खबरों का समाधान करती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) के तहत, सरकार ने दिसंबर, 2021 से भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में और आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69 क के तहत निर्धारित अन्य शर्तों के अंतर्गत भारत के बाहर से संचालित होने वाले 69 चैनलों सहित 120 यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं। फर्जी खबरों से निपटने के लिए विभिन्न माध्यमों में निम्नलिखित शामिल हैं: -

i. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत पत्र सूचना कार्यालय में नवंबर, 2019 में एक फैक्ट चैक यूनिट स्थापित की गई है, जो केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों का स्वत: और

इसके पोर्टल पर या ईमेल और सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों द्वारा भेजे गए प्रश्नों द्वारा, दोनों तरह से संज्ञान लेती है। यह यूनिट सही और अद्यतन जानकारी के साथ प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर देती है।

ii. प्रिंट मीडिया के लिए, भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई), प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत स्थापित एक सांविधिक स्वायत्त निकाय, ने मीडिया द्वारा अनुपालन के लिए "पत्रकारिता आचरण के मानक" तैयार किए हैं। इन मानकों में अन्य बातों के साथ-साथ सटीकता और निष्पक्षता, प्रकाशन-पूर्व सत्यापन, अटकलों, अनुमान, टिप्पणी और तथ्य के बीच अंतर, सनसनीखेज/उत्तेजक शीर्षकों से बचने और उनके अंतर्गत मुद्रित मामलों के औचित्य आदि पर बल दिया जाता है।

iii. टेलीविज़न के लिए, सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है, जिसमें यह शामिल है कि कार्यक्रमों में कुछ भी अश्लील, अपमानजनक, जानबूझकर, गलत और विचारोत्तेजक आक्षेप और आधा-अधूरा सत्य नहीं होना चाहिए।

iv. डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए, आईटी नियम, 2021 में अन्य बातों के साथ-साथ उनके पालन के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है, इसके साथ ही संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान है।

संहिता आदि के उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई की जाती है।

*****